न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नारायण सिंह चारण, आर0ए0एस0)

अपील / 78 / 2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

ऊदल पुत्र सोनपाल जाति कढेरा निवासी खेड़ली गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर

........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

........रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.10.2018 तहसीलदार बयाना मिसिल नम्बर 19 / 18 उनवानी राज0 सरकार बनाम ऊदल अन्तर्गत राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1–श्री सुगडसिंह अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 20.08.2019**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 23–10–2018 के खिलाफ पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत का जैर अपील आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानून के सिद्धान्तों प्रतिकूल होने के काबिले मन्सूखी है। तहत अदालत ने जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को जबाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किये वगैर ही जैर अपील आदेश पारित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है, जबकि अपीलान्ट का विवादित आराजी से किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है और इसी बिना पर जैर अपील आदेश काबिले मन्सूखी है। लायक तहत अदालत ने जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट की मौजूदगी में पटवारी हल्का की कोई साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की और ना ही अपीलान्ट को जिरह का अवसर प्रदान किया तथा अपीलान्ट को भी साक्ष्य

प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बगैर ही न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल जैर अपील आदेश पारित किया है। तहत अदालत का जैर अपील आदेश मनमाने तरीके का है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट का किसी भी सरकारी रकवें पर कोई अतिक्रमण नहीं है, अगर किसी भी रकवें पर अपीलान्ट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलान्ट उसे छोडने एव तहत अदालत द्वारा पारित दण्डादेश को भुगतने को तैयार है। अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य/सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट की मौजूदगी में पटवारी की कोई साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गई है। तहत अदालत ने मनमाने तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है । अपीलान्ट के हक में आज दिनांक तक उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि चारागाह भूमि है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्ट राजकीय चारागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी भी है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने

एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 1952/0.10 हैक्टेयर किस्म चारागाह वाकै ग्राम खेडली गडासिया पर अपीलान्ट द्वारा फसल चरी बोकर एवं छप्पर डालकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 06–11–2018 से भी स्पष्ट होता है। शपथ–पत्र के अनुसार अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा भविष्य मे पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुये मौके से अतिक्रमण हटाने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सशर्त–आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित की जाती है कि बाद जांच यदि मौके पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया हो तो ही अपीलाधीन आदेश 23.10.2018 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सुनाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर